फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अर्न्तगत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय – मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि– 682018 तथा शाखा कार्यालय – यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग, सी – स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौड।
—प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. कालुराम राम कुमावत पुत्र श्री कजोड कुमावत, निवासी – सदा बाजार पीपली आर्चायन महलो की पीपली, राजसमन्द (राजस्थान) —ऋणी

एवं

निवासी – पीपली आर्चायन, राजसमन्द (राजस्थान) 313324

एवं

निवासी – मकान स्थित आराजी नम्बर 2644, ग्राम पंचायत आर्चायन, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313324

2. श्रीमती गुडडी कुमावत पत्नी श्री कालुराम राम कुमावत पुत्र श्री कजोड कुमावत, निवासी – मकान स्थित आराजी नम्बर 2644, ग्राम पंचायत आर्चायन, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313324 —सहऋणी

— विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट पत्रावली संख्या 06/2021

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.03.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 09.02.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 025 – 00000047 व 025 – 02500146 के द्वारा 15,93,139/–रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति :– आवासीय मकान जो कि आरजी नम्बर 2644, ग्राम पंचायत आचार्यान, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द, राजस्थान को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रुप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और दिनांक 31.10.2019 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए.घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 025–00000047 व 025–02500146 में बकाया रुपये 16,46,741/– रुपये (अक्षरे सोलह लाख छियालीस हजार सात सौ इकतालीस रुपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31/12/2019 तक शेष व	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

देय निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 13/01/2020 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये, जो कि उन्हें प्राप्त हो गये, परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी प्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। एक आवासीय मकान जो कि आरजी नम्बर 2644,ग्राम पंचायत आचार्यान, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1029 वर्गफीट है, जो कि कालुराम कुमावत पुत्र श्री कजोड़ के स्वामित्व की है। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 13.01.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री कालुराम कुमावत पुत्र श्री कजोड, आरजी नम्बर 2644, ग्राम पंचायत आचार्यान, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द, राजस्थान जो आवासीय मकान है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)